अधिकरण–देवेश उपाध्याय, सदस्य तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक MJC MACC/336/2026

रोशन कुमार .... आवेदक पक्ष

बनाम

सुनील गुप्ता आदि .... अनावेदक पक्ष

29-06-2026 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर के विविध आदेश कमांक/176/एक–11–1/ कार्य.वि.प./2019 ग्वालियर दिनांक 14.08.2025 के पालन में कार्य विभाजन पत्रक अनुसार न्यायालय दशम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर (रिक्त न्यायालय) का कार्य संपादित करने हेतु इस अधिकरण को आदेशित किया गया है।

आवेदक पक्ष द्वारा श्री पंकज श्रीवास्तव अधिवक्ता।

अनावेदकगण अनाहूत।

प्रकरण मूल अभिलेख की प्रतीक्षा हेतु नियत है।

प्रकरण में मूल अभिलेख क्लेम प्रकरण कमांक 1805/2022 ''रोशन कुमार उर्फ टिंकू आदि बनाम सुनील गुप्ता आदि'' अधिनिर्णय दिनांक 27.07.2024 प्राप्त, जिसे पत्रावली के साथ संलग्न किया गया।

इसी समय आवेदक पक्ष की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदन पत्र पर सुना गया।

प्रश्नगत आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदक पक्ष द्वारा व्यक्त किया गया है कि क्लेम प्रकरण कमांक 1805/2022 ''रोशन कुमार उर्फ टिंकू आदि बनाम सुनील गुप्ता आदि'' में माननीय दशम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दिनांक 27.07.2024 को नेशनल लोक अदालत में पारित अवार्ड के पालन में अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि जमा होने पर उक्त क्षतिपूर्ति राशि में से आवेदक रोशन कुमार के हित में राशि 7,00,000/–की एफडीआर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जिला न्यायालय ग्वालियर में बनायी गयी थी, जिसकी परिपक्वता तिथि 16.10.2026 है। आवेदक का उक्त दुर्घटना में एक हाथ कट जाने के कारण वह पूरी तरह बेरोजगार हो गया है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, इसलिए आवेदक स्वयं सहित परिवारजन के भरण पोषण हेतु अपने गांव में ही किराना की दुकान खोलकर व्यवसाय करना चाहता है, लेकिन उनके पास उक्त एफडीआर के अलावा पैसों की अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। अतः आवेदक रोशन द्वारा उक्त एफडीआर का समयपूर्व भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक रोशन द्वारा स्वयं का शपथ पत्र, एफडीआर की छायाप्रति एवं आधार कार्ड की छायाप्रति तथा अन्य दस्तावेज की प्रतियां प्रस्तुत की है।

मूल अभिलेख के परिशीलन से प्रकट है कि उपरोक्त मामले

में दशम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दिनांक 27.07.2024 को नेशनल लोक अदालत में पारित अवार्ड के पालन में अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि जमा होने पर उक्त क्षतिपूर्ति राशि में से आवेदक रोशन कुमार के हित में राशि 7,00,000/—की एफडीआर खाता क्र. 667103030036479/16.10. 2024 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जिला न्यायालय ग्वालियर में बनायी गयी थी, जिसकी परिपक्वता तिथि 16.10.2026 है। आवेदक का उक्त दुर्घटना में एक हाथ कट जाने के कारण वह पूरी तरह बेरोजगार हो गया है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, इसलिए आवेदक स्वयं सहित परिवारजन के भरण पोषण हेतु अपने गांव में ही किराना की दुकान खोलकर व्यवसाय करना चाहता है, लेकिन उनके पास उक्त एफडीआर के अलावा पैसों की अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। अतः आवेदक रोशन द्वारा उक्त एफडीआर का समयपूर्व भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया है तथा कथनों के समर्थन में आवेदक रोशन द्वारा स्वयं का शपथ पत्र, एफडीआर की छायाप्रति एवं आधार कार्ड की छायाप्रति तथा अन्य दस्तावेज की प्रतियां प्रस्तुत की है।

आवेदक द्वारा दर्शाया गया कारण सद्भाविक एवं पर्याप्त प्रकट होता है और वह स्वयं के स्वामित्व की राशि को प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः विचारोपरांत प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए उपरोक्त राशि के समयपूर्व भुगतान का आदेश दिया जाता है।

आदेश की एक प्रति शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे **कि आवेदक रोशन कुमार के नाम से एफडीआर क्रमांक 667103030036479 के रूप में जमा राशि 7,00,000/—रूपये का अद्यतन ब्याज सहित भुगतान आवेदक रोशन कुमार को उसके बचत खाते के माध्यम से कर दिया जावे।**

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर, प्रकरण मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर मूल अभिलेख अभिलेखागार वापस भेजा जावे।

DEVESH UPADHYAY
Digitally signed by DEVESH UPADHYAY
Date: 2026.06.29 17:57:39 +0530

सही/—
(देवेश उपाध्याय)
सदस्य तृतीय अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर